>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2010 (Bill Passed).

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, my submission is that the Bill relating to the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament may be taken up before the Enemy Property Bill.

Sir, I beg to move *:

> "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

Sir, the existing provision regarding salary and allowance were made effective from 14th September 2006 for a period of five years.

In the normal course, this period would expire on 14th of September, 2011. However, after the implementation of the Sixth Pay Commission, all level of employees received substantial enhancement of the salary package. Similarly, salaries of other dignitaries were also increased.

Sir, the Joint Committee on Salary and Allowances of Members of Parliament examined the matters connected with the rationalisation of salary, allowances and other facilities available to the Members of Parliament. In its Report the Joint Committee felt that the existing salary and allowances were inadequate in the present scenario. The Committee felt that the existing criterion for fixing the salaries and allowances of Members of Parliament on the basis of Consumer Price Index meant for urban non-manual employees were inadequate to meet the needs of the Members of Parliament to shoulder their responsibilities effectively. The Members pay and allowances, felt the Committee, must be raised on the premise that they are on duty 365 days a year and 24 hours a day. Further, the emoluments of the Members of Parliament should not be less than that being paid to the Members of State Legislatures. Besides, their emolument may be bench-marked befitting their important office to the salary being paid to other dignitaries and civil servants placed on the warrant of President issued by the Government of India.

Sir, the Joint Committee submitted its Report on 5th May, 2010 and have made a number of recommendations for enhancing salary, allowances, facilities, pension, etc. for Members and former Members of Parliament. After due consideration of the recommendations, the Government has decided to implement most of the recommendations by amendment of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 and the rules framed there under.

Sir, the proposals which involve amendment of the Act have been included in this Bill and I would very briefly summarise those as follows:

- The salary is being raised from Rs.16,000 p.m. to Rs.50,000 p.m.
- Daily Allowance is being increased from Rs.1000 to Rs.2000 for each day during the period of residence on duty

And, these increases would be effective from the date of the constitution of the15th Lok Sabha, that is 18th May, 2009.

- The road mileage is being raised from Rs.13 per km. to Rs.16 per km.
- The rail facility is being provided for the spouse of the Member so that she can travel alone, between the place of residence and Delhi, unaccompanied by the Member, as the present case is.

Presently, the Member is entitled to two seats as such in the First Class. If he goes and brings back the spouse. So, in fact, this one particular provision would rather lead to some saving on the account of expenditure on the rail travel.

- The minimum and additional pension, which is presently allowed to ex-Members of Parliament, is Rs.8000 p.m. This is being raised to Rs.20,000 p.m. and the additional pension of each year, in excess of five years of Membership of House is being raised from Rs.800 p.m. to Rs.1500 p.m. The increase in pension like the increase in pay shall be

effective from 18th May, 2009

- The advance for purchase of conveyance is being raised from an amount of Rs.1 lakh to Rs.4 lakhs at the rate of interest which is applicable to the Government servants by the Government of India.

Apart from the proposals which have been included in the Bill, certain other recommendations of the Joint Committee have also been agreed to and are proposed to be implemented by amendment of the relevant rules to the Act.

15.15 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

These are: the constituency allowance will be raised from Rs.20,000 to Rs.45,000 per month and the Members of Parliament who are presently entitled to offices expenses of Rs.20,000 per month, this amount would be raised to Rs.45,000 per month, out of which Rs.28,000 would be payable to the office staff which they employ.

The hon. Speaker, Lok Sabha, had convened a meeting of all political parties on 23rd March, 2005 to evolve a mechanism for periodic revision of salary and allowances of Members of Parliament. Based on the unanimity arrived at ~~in~~ for setting up a Salary Commission, there was a proposal by this Ministry to set up a permanent mechanism for determining the salary and allowances of Members of Parliament. The Cabinet had approved the proposal in principle on 18th August, 2006 for setting up of a permanent mechanism for determination of salary, allowances, pensions, etc. of the Members of Parliament. However, no such permanent mechanism could be set up so far.

The issue of setting up of permanent mechanism has assumed greater significance in view of the developments and various sort of reactions or comments that the question of the Members having have to decide their salary themselves has arisen in the recent few days and the past few days. The Constitution does bestow that right on the Members of Parliament as it does to the Parliament in the framing of various other laws. But it is felt now by the senior Members like hon. Mr. Advani himself and many other hon. Members that it is time now that we stop getting into this exercise repeatedly and work out some mechanism which would be according to the dignity that ought to be accorded to the Members when they talk of their own pay, salaries and allowances and it should also be a very transparent thing in which people other than Members of Parliament are associated with. This is indeed a very wholesome recommendation and I would take this opportunity at the time of just presenting this Bill to the House that I would like to make it clear that through there has been delay in this matter in the past but we would all get into an exercise in this. In principle, the decision has been taken. What ought to be the modalities thereof, what sort of composition it ought to have, we would discuss with various political parties. We would refer the matter to the Committee on Salaries and Allowances and I think we would come up with some sort of mechanism which would find all round, a universal acceptance in the days to come...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Pandaji, the time will come when you will be allowed to express your views. It is not the way.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Sampatji and Pandaji, it is not the way. You people are the senior Members of Parliament and if you will do like this, how the Parliament will run? I will give you time. What do you want now?

...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, with these words, I commend this Bill to this House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Advaniji to speak.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Pandaji, you are a very senior Member of this House.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dome and Mr. Sampat, I am standing.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members please maintain decorum in the House. I am standing now and so you cannot stand. This is not the way the Parliament will run. I have called Shri Advani. He will express his views and after that I will allow other speakers to express their views.

Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦ *

MR. CHAIRMAN: Shri Sampath, Dr. Dome, will you not allow me to speak even? I am standing. You cannot stand when I am on my legs. This is not the way. You cannot drive Parliament your way. You must maintain decorum.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Dr. Dome, I allow you to express your views. Shri Panda, I have allowed Dr. Dome to express his views. Other Members may please take their seats.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if you do not have the tolerance to allow Shri Advani to speak when I called his name. You must have shown that dignity. I called Advani ji and you must have allowed him to speak.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन विधेयक को प्रस्तुत करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी की अध्यक्षता में एक बैठक में सिफारिश की गयी थी और मुझे जानकारी नहीं थी कि बाद में, कैबिनेट ने भी उसे एक प्रकार से स्वीकार करके सिद्धांततः उसे 18 अगस्त 2006 स्वीकार किया। लेकिन क्यों वह निर्णय कार्यान्वित नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, कार्यान्वित हो जाना चाहिए था। लेकिन आज आपने जो वक्तव्य दिया, उसमें यह कहा कि इनसे सलाह करेंगे, उनसे सलाह करेंगे, फिर निर्णय करेंगे। मेरा सुझाव होगा कि इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है, एक मैकेनिज्म इवोल्व करना है और उसे गवर्नमेंट इवोल्व करे और सदन उठे उससे पहले आप इसे घोषित कर दीजिए। यह मैकेनिज्म इतनी कोई कंप्लीकेटेड बात नहीं है। लेकिन इस मैकेनिज्म के न होने के कारण ही वर्षों से मैं यह देखता आया हूं वह कष्टदायक रहा है। यह सालों से होता रहा है कि हर अधिवेशन के अंतिम सप्ताह में इसे लाया जाता रहा है और 10-15 सांसद ही इसके लिए कैम्पेनिंग करते रहते थे हर पार्टी के पास जाकर के कि वेतन ठीक नहीं है, इसे ठीक होना चाहिए। तब मैं बहुत आग्रह करता था कि यह स्थिति ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसमें मूलतः सांसदों को वेतन क्या मिले, एलाउंसेज क्या मिलें, इसका निर्णय न संसद करे, न संसद की कोई समिति करे, बल्कि बाहर की कोई अथॉरिटी जिसको भी कहा जाए, लेकिन मैकेनिज्म उसका होना चाहिए। हमें आज जानकारी मिली की सरकार ने इस बात को स्वीकार भी किया है। मेरा निवेदन होगा कि अब विलम्ब ज्यादा नहीं होना चाहिए और इस सत्रावसान से पहले इसकी घोषणा हो जानी चाहिए।

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Sir, I thank you for allowing me to place my views on this important issue.

Firstly, we are not against rationalisation of salary, pension and perks of the MPs themselves. But Sir, the principal objection on our part is that the Government has committed earlier to frame an independent and special mechanism in this regard. During the tenure of our former Speaker, Shri Somnath Chatterjee, it was mooted and obviously, at that time, the Leader of the Opposition also supported that view. It was mooted that an independent mechanism would be formulated to consider the salary, pension and perks and other facilities of the Members in this House. That mechanism should be an independent one without the Members of the House themselves and should not be from within this House. It should be constituted outside the House. That was the earlier proposal.

The Government made the last hike in 2006. Now four years have passed and the Government could not find time to formulate that mechanism. When the Government has come up with this proposal through a Bill for hiking the salary, pension and perks of the Members, we feel that it is very much derogatory for the Members themselves that we ourselves are going to increase our own salary, pension and perks. This thing is not at all dignified. A wrong message is being sent outside the House because we are going to increase our salary, pension and perks when the people of the nation are in crisis.

In a major part of the country, there is flood and in other parts, there is drought. Also, prices of essential commodities are skyrocketing. People are in severe distress. About 77per cent of the people are getting only Rs. 20 as their income per day. At this point of time, we Members are going to hike our salaries about 300 times of the existing one. This is sending a wrong message to the country.

On principle, we are against the way in which the Government is bringing this legislation for hiking the salary, pension and perks of the Members. This should not be permitted. Sir, we seek your protection. You should protect us. It should be deferred. It should not be taken up in this Session. It should be deferred so long as an independent mechanism is

formulated. Till an independent mechanism is constituted to rationalise our salary, pension and perks, this Bill should be deferred. This is our proposal.

We strongly oppose this Bill brought by the Government.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वर्ष 1954 का बिल मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट सैलरी एलाउंसेस एक्ट के संशोधन का प्रस्ताव लेकर संसदीय कार्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि सांसदों की सैलरी बढ़नी चाहिए, इस बारे में ज्यादा ऐतराज़ नहीं है, लेकिन किस तरीके से बढ़नी चाहिए और कितनी बढ़नी चाहिए, इस बारे में मतभेद है और मतभेद होना वाजिब भी है। सदन में एक विषय पर सभी लोग सहमत हो जाएं, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि हम सभी जनतांत्रिक परम्परा में जीते हैं, इसलिए अलग-अलग विचार हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो ज्वायंट पार्लियामेंटरी समिति का गठन किया गया था और जिसे कहा गया था कि आप पूरे मामले की छानबीन करके रिपोर्ट दें और बताएं कि सचमुच क्या परिस्थिति है। उस रिपोर्ट में जो कारण और वांछनीयता बताई गई है, मुझे लगता है कि वह बहुत वाजिब है। हमारे देश में सांसदों का वेतन बहुत कम है और कम रहा भी है। पूरी दुनिया के सांसदों के हिसाब से देखें या हमारे देश में प्रोटोकाला का प्रीजिडेंट है, उसके हिसाब से देखें, तो सांसदों की सैलरी बहुत कम है। इस नाते ज्वायंट पार्लियामेंटरी समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे साथी हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी और सिफारिशें कीं, उन सिफारिशों को सरकार ने माना।

सरकार ने उन सिफारिशों को अपनी मर्यादा के तहत मानते हुए जो व्यवस्था की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं। जो आडवाणी जी ने बात कही और जो संसदीय मंत्री जी ने बात कही, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी सैलरी खुद लड़कर बढ़ाए, यह वास्तव में अच्छा नहीं लगता। पिछले 10-15 दिन में सदन में जिस तरह से चर्चा हुई और उसके ऊपर पूरे देश में जिस प्रकार से हमारी आलोचना हुई, सिर्फ मीडिया के स्तर की बात नहीं कहिए, आम तौर पर लोगों ने भी कहा कि यह बहुत अच्छा नहीं लगा। जो आडवाणी जी ने प्रस्ताव दिया और जिस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक स्पेशल मैकेनिज्म विकसित होना चाहिए। आस्ट्रेलिया जैसे देशों में आप देखेंगे तो बाकायदा रिम्युनिरेशन ट्राईब्यूनल जैसी व्यवस्था वहां पर है कि सांसदों का वेतन कितना होना चाहिए, कब बढ़ना चाहिए। उसमें परिवर्तन होना चाहिए और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरह से एक वैधानिक यंतूणा की व्यवस्था की गई है।

निश्चित तौर पर हमारे देश में चुनाव आयोग...(व्यवधान) जैसी एक व्यवस्था हो जो समय समय पर सांसदों के वेतन के बारे में फैसला ले। बार बार जो हमारी सांसदों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आलोचना हुई, उसे देखकर मेरा सुझाव है कि सैलरी पर्फार्मेंस लिंक होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सदस्य इससे सहमत नहीं हो सकते। लेकिन जहां सैलरी मिलती है, वहां काम होना चाहिए। नो वर्क, नो सैलरी, यह एक बहुत पुराना सिद्धांत है। हम सांसदों को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं और बढ़नी भी चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन साथ साथ हमें ईमानदारी से अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए।...(व्यवधान) यह मेरा सुझाव है। पूरी विनमूता से मैं अपना सुझाव रख रहा हूं। इस सुझाव को मान लिया जाए, सब सहमत हो जाएं, यह संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जिस दिन हम लोग सदन को बाधित कर दें, सदन स्थगित हो जाए और उस दिन भी हम सैलरी लें, भत्ता लें, मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा नैतिक नहीं है। अगर इस पूकार का निर्णय सदन की तरफ से हो कि ठीक है, जिस दिन सदन नहीं चलेगा, जिस दिन हम सदन नहीं चलने देंगे, हम भत्ता नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो हमारी आलोचना हो रही है, वह आलोचना थोड़ी कम हो जाएगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्यों की जो वहां सदन में अटैंडेंस होती है, उसे भी सैलरी से जोड़ देना चाहिए। अगर आपका अटैंडेंस 50 पूतिशत से कम है तो निश्चित तौर पर उनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हम सदन में काम करने के लिए आते हैं, हम लोगों के दुख दर्द लेकर आते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर आते हैं। हम सरकार पर दबाव डालते हैं तथा सरकार से अपेक्षा करते हैं कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। ऐसे में अगर हम अपनी जवाबदारी को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए आलोचनात्मक स्थिति बनेगी। हम सांसदों को आखिर मिलता क्या है? आप चुनाव क्षेतू से लेकर दिल्ली तक अगर देखें...(व्यवधान)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, we are not discussing the merits of the Bill. But he is dealing with the merits of the Bill.

MR. CHAIRMAN : He is expressing his views on the Bill.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda, you are a very knowledgeable Member. We have already started the discussion on the Bill.

...(*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA ~~(MIDNAPORE)~~: Shri L.K. Advani did not go into the merits of the Bill. So, I seek your indulgence. ...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The Bill is already before the House for consideration and passing. What is he saying? ...(*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि हमारे पास दिल्ली से चुनाव क्षेतू तक कामकाज करने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारे भत्ते बढ़ाने के बजाय सरकार अगर अपनी तरफ से सैपरेट सैकेट्रेरिएट उपलब्ध करा दे, हमें रिसर्च करने के लिए अच्छा स्टाफ दे दे तो मुझे लगता है कि भत्ते की जरूरत भी नहीं है। आखिर हमें चुनाव क्षेत्र में पांच-छः सैकेट्री रखने पड़ते हैं और पूरा खर्च अपने ऊपर लेना पड़ता है। क्यों? हम कांस्टीटुंसी में काम करना चाहते हैं। यहां अलग-अलग विषयों पर काम करके पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। जिस पूकार से माननीय मंत्रियों को सरकार की तरफ से सचिव और एपीएस

उपलब्ध कराए जाते हैं इसी तरह लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की तरफ से व्यवस्था की जाए जिसमें सभी सांसदों को चुनाव क्षेत्र और दिल्ली के लिए सचिव और कुछ रिसर्चर उपलब्ध कराए जाएं ताकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकें। मुझे एक और बात समझ में नहीं आती है कि एमपीज़ का रोल क्या है? आज चुनाव क्षेत्र में मैं जो काम करता हूं वही काम एमएलए, काउंसलर और कार्पोरेटर भी करता है। हमारे यहां एमपी का मतलब कहा जाता है - मीटर, वाटर, गटर। हम बिजली का काम करते हैं और कार्पोरेटर भी करता है। बिजली नहीं आती है तो लोग हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। घर में पानी नहीं आता है तो लोग हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। गटर साफ नहीं होता है तो लोग हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। यहां आडवाणी जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अब एक नए सिरे से एमपीज़ की भूमिका पर एक फैसला होना चाहिए कि चुनाव क्षेत्र से दिल्ली में संसद तक इन्हें करना क्या है, वरना एक ही काम हम तीनों कर रहे हैं। एमपीज़ को पूरे सदन में 11,00,000 करोड़ का बजट पास करने का अधिकार देते हैं।**...**(व्यवधान) मेरा इतना ही कहना है सदन में तमाम सदस्यों की जिम्मेदारी है कि सरकार के कामकाज पर निगरानी रखें और राय दें। पूरे देश का बजट पास करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है इसलिए आगे जाकर इसे जीडीपी से भी लिंक करना चाहिए। जब 11,000 करोड़ इस देश का जीडीपी था तो 500 रुपए इस देश के सांसदों की सैलेरी थी। अब 50,00,000 करोड़ के आसपास जीडीपी हो गया तो इसे जीडीपी से लिंक करने की आवश्यकता है। अगर जीडीपी से लिंक करेंगे तो हमारी सैलेरी पौने दो लाख से दो लाख हो जाएगी, मैं यह डिमांड नहीं कर रहा हूं। हमारे कर्तव्य और परफार्मेंस को जोड़ते हुए देश की तरक्की और विकास से वेतन-भत्ते का इस्तेमाल होना चाहिए। याद रखिए, मैं वेतन-भत्ता अपना घर चलाने के लिए नहीं मांग रहा हूं, बतौर सांसद मुझसे चुनाव क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो अपेक्षा की जाती है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, मेरी जो जवाबदारी बनती है। हमारी जरूरत को पूरा करने की जवाबदारी सरकारी और संसद की बनती है।

महोदय, मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन सम्मानित संसदीय कार्यमंत्री जी ने पेश किया है और तमाम पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से बातें सामने आई हैं।**...**(व्यवधान)

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Sir, we are opposing this Salary, Allowances and Pension of Members (Amendment) Bill, 2010 as we believe that the basis tenet of democracy is the Principle of Social Justice. But to the contrary the judges are enhancing their facilities and privileges on their own and the parliamentarians themselves are deciding their salaries and allowances. This is highly improper and hence, we the members of the left parties are staging a walk-out against this Bill. ...(*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA : Sir, I may be allowed to speak. ...(*Interruptions*) The present salary hike is going to be immoral, unethical and ridiculous. ...(*Interruptions*) So, in protest, we stage a walk out. ...(*Interruptions*)

15.38 hrs.

At this stage, Shri Prabodh Panda and some other

hon. Members left the House

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar. I have called the name of Shri Shailendra Kumar.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आप उन्हें मत बोलिए। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

DR. TARUN MΘANDAL (JΘAYNAGAR): Sir, in protest, I also walk out of the House.

15.40 hrs.

At this stage Dr. Tarun Meandal left the House

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं नैतिकता के बारे में कहना चाहता हूं।**...**(व्यवधान)

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे हैं। यह बात सत्य है कि हम लोग अपनी गरिमा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए यहां आये हैं। जब हम लोग पहली बार चुनकर आये थे तो इसी फ्लोर पर हम लोगों ने संविधान की शपथ भी ली है। जहां तक स्थायी समिति की बात है, आज स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। उसमें हर दल के सम्मानित सदस्य थे। आप रिपोर्ट देखें, मेरे ख्याल से सभी सम्मानित सदस्यों को यह रिपोर्ट गई है। उसमें कहीं भी स्थायी समिति ने अमाउंट नहीं लिखा था। उसमें केवल यह लिखा था कि हमारा जो भी प्रोटोकोल है, उसके मुताबिक सचिव से एक रूपये ज्यादा हमारा वेतन कर दिया जाए।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, मैं आपको यहां थोड़ा व्यवधान पहुंचा रहा हूं। चूंकि इस पर मीडिया में काफी चर्चा हो चुकी है, बाहर भी चर्चा हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ ऐसे संक्षिप्त विचार रखें, जो उसमें कुछ एड करे। वही बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, अंकुश और बंदिश हमारी कमजोरी है, उसका फायदा लोगों ने उठाया है। मीडिया ने जितना लिखना था, जितना हमें बदनाम होना था, हम हो गये हैं। अब आप इस पर रोक मत लगाइये। बीएसी में तय हुआ था कि हम लोग यहां एक घंटे बोलेंगे और अपनी बात रखेंगे। मेरा निवेदन है आप इस पर हमें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : 25 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं। आप बोलिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी के वेतन से ज्यादा किसी का वेतन नहीं होना चाहिए। चूंकि यह एक देश की गरिमा और सम्मान की बात होती है। यह हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। आज स्थिति यह है कि बहुत से ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, जिनके सीईओ दो से ढाई लाख वेतन पा रहे हैं।...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): दस से बीस लाख रुपये पाते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उन्हें कहीं-कहीं पर दस से बीस लाख रुपये तक मिलते हैं।...(व्यवधान)

अभी सम्मानित सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, मैं संक्षेप में कहना चाह रहा हूं। हमने केवल यही मांग की थी कि जो भारत सरकार के सचिव हैं और सम्मानित सदस्य हैं, आप केवल उनके कार्यों का मूल्यांकन कर लीजिए और उनके वेतन और सुविधाओं का मूल्यांकन कर लीजिए। आपके सामने सारी चीजें निकल कर आ आयेंगी। सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि हम अपना वेतन बढ़ाकर यहां मेजें थपथपाना नहीं चाहते। हमने शुरू से मांग की, जैसे आदरणीय आडवाणी जी ने कहा कि 2006 में श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बना दिया जाए। अभी सरकार की तरफ से यह जवाब आया कि हो सकता है कि आडवाणी जी ने कहा कि इस सत्र में सोमवार या मंगलवार को आ जाए। यदि आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहले आयोग के गठन की घोषणा सरकार तत्काल इसी सत्र में करे या फिर अगले सत्र में करनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि छठे वेतनमान को लेकर तमाम सरकारी कर्मचारियों की हम लोगों के पास सिफारिशें आई हैं। उन्हें तकलीफ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उन्हें तकलीफ है, आपको उनका मूल्यांकन करके उनके वेतन का भी पूरी तरीके से निर्धारण कीजिए और तत्काल कमीशन बनवा दीजिए, वेतन, पेंशन और निर्धारण आयोग बनवा दीजिए, जिससे कि हम लोगों को इस बदनामी से मुक्ति मिले।

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि तमाम माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही कि आप अनेकों विधान सभाओं के विधायकों की स्थिति देख लीजिए। चाहे विधायक का फंड हो या उनके वेतन और सुविधाओं की बात हो। मैं यही कहूंगा कि जितनी जिम्मेदारी का हम लोग निर्वाह करते हैं, उसके मुताबिक आप एक पीए दे दीजिए, एक प्यून दे दीजिए, एक कार्यालय दे दीजिए और वाहन की व्यवस्था कर दीजिए। हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए न एमपीलैड चाहिए और न वेतन चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति महोदय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे देश के सांसदों की छवि प्रस्तुत की गई है या जिस तरीके से हमारे मीडिया के साथियों द्वारा हमारी इमेज प्रोजैक्ट की गई है, वैसी नहीं है। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा और कष्ट भी है । हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम लोगों की इमेज को इस तरह से खराब किया जाये। एक सांसद होने के नाते पिछले 15-16 महीने का जो अनुभव है, जिन कठिनाइयों से हम लोग गुजरते हैं, हम उन समस्याओं को देखते हैं। यहां वेतन के मांगने का तरीका और सरकार द्वारा देने का तरीका अलग है। हमारे परमादरणीय आडवाणी जी ने और अन्य साथियो ने कहा कि कमीशन बनना चाहिये, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जिस तरीके से वेतन मांगा गया और जिस तरीके से दिया गया, दोनों बातें गलत हैं। यह बात कहीं न कहीं हताशा की रही है। संजय जी जो बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था। हम कहीं न कहीं अपने ऊपर से विश्वास खो रहे हैं। जब पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था तो लोगों को इतना विश्वास था कि इतने नैतिक लोग उसमें हैं और वे जो तय करेंगे, सही तय करेंगे। इस विश्वास के बल पर यह व्यवस्था दी गई थी कि संसदीय समिति अपने वेतन या सुविधाओं को तय करेगी।

आज संसद में हम लोगों को इतना मैटीरियल मिलता है कि पढ़ना तो दूर, देखने की भी फुरसत नहीं मिलती है। हम अपने क्षेत्र की 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम यहां से 6 बजे निकलकर जाते हैं तो लोगों के फोन आने शुरु हो जाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाये। पहले ऐसी

बात नहीं थी क्योंकि फोन की सुविधा नहीं थी। मान लीजिये मैं जौनपुर से सांसद हूं, वहां से लोग चलकर आते थे और आपने क्षेत्र के सांसद से मिलते थे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिये कहते थे। आज मोबाइल मिला हुआ है, कहते हैं कि बात करके मेरी समस्या का समाधान करवा दीजिये। आज काम का बोझ भी इतना ज्यादा है।

आज की बहस से एक बात यह निकलकर आयी है कि आज जरूरत हमें इस बात की है कि जो कठिनाई हम फेस कर रहे हैं, उस कठिनाई का किस तरह से समाधान किया जाये । दिल्ली में हमें एक आवास दे दिया गया है, अगर वहीं से अपना आफिस चलायें, सारा काम वहीं से करें, यह कैसे दो कमरे के मकान से संभव है? अभी बात आयी कि हम लोग 11 लाख करोड़ रुपये का बजट पास करते हैं। हम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। मेरा मानना है और प्रत्येक सांसद इस बात से सहमत होगा कि हम लोगों के लिये अलग से एक आफिस होना चाहिये। हमने अभी न्युक्लीयर बिल पास किया है। यह बात आयी थी कि अमरीका में 300 डालर या 1500 करोड़ अपर लिमिट है, इसलिये हम उससे ज्यादा दे रहे हैं। जब यहां से पार्लियामेंटरी ग्रुप जाता है जहां पर संसदीय प्रणाली है, हम लोग उसका अध्ययन करने जाते हैं। जो वहां से सीखकर आये हैं, क्या हम उस पर अमल कर पाये हैं? अगर हम सब चीजों की अमरीका से तुलना कर रहे थे तो यहां भी करें। वहां व्हाईट हाउस के पास मैम्बर्स के लिये अलग से आफिस बना हुआ है। 18-18 एसोसिएट्स उन्हें दिये जाते हैं जिससे काम हो। प्रतिवर्ष 8 लाख डालर उन पर खर्च आता है। हम यह नहीं चाहते लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हम वेतन की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी छवि को प्रस्तुत किया गया है, इस पर आडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। जो हम लोगों की छवि प्रस्तुत की गई है, उसे देश के सामने कहना जरूरी है। हमारे क्षेत्र के लोग यह सोच रहे होंगे कि हम वेतन के लिये लड़ रहे हैं। यहां पर 70-75 डिपार्टमेंट हैं जिनकी मानीटरिंग करना, ओवरसीईंग करना एक सांसद का काम है। हम लोग इसलिये पार्लियामेंट के अंदर सवाल रेज़ करते हैं। मान लीजिये हम एक क्वैश्चन करते हैं, गुलाम नबी आजाद जी से तो उन्हें यहां एक आफिस मिला हुआ है। शैलेन्द्र जी ने यहां कैबिनेट सैक्रेटरी से तुलना कर दी लेकिन मुझे किसी से तुलना नहीं करनी है। कैबिनेट सैक्रेटरी को पॉवर मिली हुई है, उसके नीचे बहुत लोग काम करते हैं, उनको एक आफिस मिला हुआ है, स्टाफ मिला हुआ है। हम लोग उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। हमे चाहिये कि हम लोगों को एक बैटर ग्रुप मिले जो मैम्बर पार्लियामेंट के लिये रिसर्च करके जो हमारा लेजिस्लेटिव वर्क है, उसे नहीं कर पाते, उसमें मदद करें। हम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, वहीं फंसे रह जाते हैं, यहां के काम के लिये हमें रिसर्च टीम चाहिये, उसमें दो हों, चार हों सब की एक्सरसाइज होनी चाहिये, तब हम अपनी बात रख पायेंगे। यह बात भी आती है कि हम गुणवत्ता नहीं रख पाते हैं. ठीक है लेकिन जब हम ज्ञान ही नहीं रखते हैं तो गुणवत्ता कैसे आयेगी? मान लीजिये मैं आईटी कमेटी में हूं, मैं आईटी इंजीनियर नहीं हूं लेकिन उसकी जानकारी के लिये अपनी तरफ से लोग हायर करने पड़ते हैं। पार्लियामेंट यह सुविधा क्यों नहीं देती है? हम यह सुविधा किसी को देने नहीं जा रहे हैं, यह पार्लियामेंट तय करे। संसद ही तय करेगी कि एक सांसद को किन-किन चीजों की आवश्यकता है?

वह अपने क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी लेजिस्लेटिव जिम्मेदारियों का निर्वाह किस तरीके से कर सके। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है। हमारे मीडिया के साथी यहां उपस्थित हैं, मैं यह भी कहूंगा कि हम लोग इतने गैर-जिम्मेदार नहीं हैं। वर्तमान समय की जो प्रणाली है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में से सबसे ज्यादा विधायिका जिम्मेदार है। हम पांच वर्षों के लिए चुनकर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी ही होती है।

सभापति महोदय : धनंजय सिंह जी, आप ऊपर मत देखिये, आप नीचे देखिये।

श्री धनंजय सिंह : इसलिए हम लोगों को इस तरीके से न प्रस्तुत किया जाये। बहुत-बहुत

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एक्स एमपीज़ हैं, इस सदन में जो सांसद आते हैं, उनमें से 90 फीसदी एक-आध बार ही चुने जाते हैं। वे बिरले ही होते हैं, जो पांच-दस परसेंट में आते हैं। बाकी सभी सांसद, 90 फीसदी सांसद एक बार में ही चले जाते हैं। क्योंकि यह बिल सांसदों के वास्ते आया है, इस पर बहुत लोगों ने अपनी राय और अपने विचार रख दिये हैं। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं में से कोई एमएलए बन पाता है और कोई एमपी बन पाता है। इसके लिए करोड़ों लोग लगे रहते हैं। आजकल एमएलए बनना भी बहुत कठिन है। पैसों वालों के लिए तो आसान है, लेकिन जो कार्यकर्त्ता है, उसके लिए बहुत कठिन और दुरूह है। वह भी एक-आध बार ही रह पाता है। वे बिरले ही होते हैं, जो पांच-दस परसेंट में आते हैं। राजनीतिक लोग जहां रहते हैं, उसे लुटियन जोन कहते हैं। लुटियन जोन भी अब लुटियन जोन नहीं बचा है, उसमें तो बहुत से लोग अंदर आ गये हैं। वह एक अलग बहस है और इस बहस में मैं उसे नहीं लाना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक्स एमपी किस हालत में रहते हैं, उनकी कैसी हालत है? हमने देश में कई तरह की सुविधाएं दी हैं। इंजीनियर्स के भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए भी ठहरने, उठने-बैठने के काफी इंतजाम हैं। कई तरह के संगठन हैं, जिनकी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जातियों के संगठन हैं, जिनके यहां ठहरने का इंतजाम है, लेकिन जो एक्स एमपीज़ हैं या पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके ठहरने का कोई इंतजाम दिल्ली में नहीं है। विशेष तौर पर हम एमपी बन गये हैं, लेकिन हैं कार्यकर्त्ताओं की जमात से। उनकी कई दिक्कते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जो बेचारे बीमार होकर आते हैं।

श्री शरद यादव : वही मैं कह रहा हूं। उनकी कई दिक्कतें हैं, वे काम से भी आते हैं। वे बीमार ही नहीं रहते हैं, वे देश के सबसे ज्यादा लोगों का काम लाते हैं। कुछ लोग गलत काम लाते हैं और कुल लोग सही काम लाते हैं। मैं मानता हूं कि जब भ्रष्टाचार पर बहस होगी तो इस पर एक बहुत व्यापक बहस होनी चाहिए। उस बहस में यह होना चाहिए कि, दो, तीन, चार चॅक ऑफ लाइफ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यूडिशियरी है, आपकी हमारी लैजिस्लेचर है, मीडिया है। ये चार वॉक ऑफ लाइफ हैं, जिन्हें देश की चीजें चलानी पड़ती हैं। इस पर अलहदा मौके पर चर्चा होगी। चूंकि आपका आदेश है कि चर्चा विषय से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक्स एमपी 90-95 फीसदी एक बार होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक एमपी बनने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं। इसके लिए कितनी तरह की कसरत होती है। एक बार बनने के बाद उसकी जिन्दगी में कभी कोई दूसरा मौका नहीं आता है। आपने उनकी पेंशन को 20 हजार रूपया किया है। मैं मानता हूं कि सांसदों की आज जो

तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, जितनी उनकी सैलरी कर रहे हैं, पेंशन उसकी आधी जरूर होनी चाहिए।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ लुटयन्स ज़ोन पर एक बार बहस होनी चाहिए कि कौन-कौन का किस-किस खंड में रहने का काम होगा। सैग्रीगेशन होना चाहिए, एमपीज़ के लिए भी, एक्स-एमपीज़ के लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। मकान की इतनी दिक्कत है कि जहाँ जिस एमपी से मिल जाए, वह मकान के बारे में इतना ज्यादा तंग और तबाह है कि अभी गोपीनाथ मुंडे जी हैं, कितनी बार ये राजनीति में एमएलए रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं लेकिन मकान का मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे यहाँ बहुत एक्स मिनिस्टर्स आ गए हैं। अभी अग्रवाल साहब नहीं हैं, वे बताएँगे कि किस तरह की दिक्कत है। एमपीज़ के जो फ्लैट्स बने हुए हैं ...(व्यवधान) सभापति जी, एमपीज़ के जो फ्लैट्स बने हुए हैं, वे किस लिहाज़ से बनाए, कैसे बनाए, मुझे पता नहीं है, लेकिन वे इतने छोटे हैं कि एक पोलिटिकल आदमी जो लाखों वोटों से जीतता है, उसका काम उसमें नहीं चल सकता। इसलिए मेरा कहना है कि जो एमपीज़ हैं, उनके निवास की जो दिक्कतें हैं, उस पर सरकार को तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए।

एक्स एमपी की तो ऐसी हालत है कि एक एमपी बाँसवाड़ा के थे। जब उनकी यहाँ मृत्यु हो गई तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उनको वापस ले जाने के लिए किराये के पैसे भी लोगों के पास नहीं थे। वे मेरी पार्टी के थे। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। मैं उनको विस्तार से बताऊँगा तो ठीक नहीं होगा। पवन बंसल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्स एमपीज़ का मामला है और इस सदन में बैठे हुए सदस्य जो आज की तनख्वाह की बात कर रहे हैं, वे भी एक्स हो जाते हैं। ...(व्यवधान) आप पहली बार आए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वही स्थायी हैं। तो उनकी सारी ज़िन्दगी में पाँच वर्ष कभी-कभी किसी-किसी को मिल जाते हैं। लाखों लोग तो छूट ही जाते हैं। कार्यकर्ता तो छूट ही जाता है। उसमें से भी बहुत कम लोग रहते हैं। उसके साथ जो सुविधा जुड़ जाती है, वह ज़िन्दगी भर समाज में उसकी हिस्सेदारी बाँटता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि एक्स एमपी के मामले में आपने जो थोड़ा हाथ खींचे हैं, वह हाथ बढ़ा दें चूँकि वे इस सदन में नहीं हैं मगर बाहर चूँकि हमारे साथ कई बार रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक्स एमपीज़ के बारे में थोड़ा विचार करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, I do not intend to take too much time but I would just want to bring to the knowledge of this House the gravity of the public sentiment.

Sir, there is a very serious public sentiment outside which we must not underestimate. I do not think that anybody take exception to the fact that the salary of Members of Parliament must be raised, but I will tell you why the public sentiment has been the way it has been over the past two, three weeks. Let us face it. The public reaction over the last two, three weeks has been savage on two accounts. On one account the Commonwealth Games,; the Government is completely to be blamed for it and the public is entirely right on that account. But on the second account, I do not believe that the Government is to be blamed because all sections of this House frankly have felt that there is a need for an increase in the salary of Members. A lot of people outside feel the need too. The difficulty is this. What upsets people is firstly when they see disruptions in the House. That is what truly upsets people outside. They do not mind paying Members of Parliament a little more but they get very upset when they see the unedifying sight of Members of Parliament disrupting the House and not working. That is number one. Secondly, Mr. Chairman, Sir, what upsets people are empty benches.

16.00 hrs.

When they see empty benches and lack of quorum, that is what upsets people. I am going to keep my speech very short. May I only suggest that we should self govern? If we do not self-govern then that would be an act of betrayal. I think for that act of self-governance, the first act that we should call upon is – I agree with certain sections of the House, which have said and I have always said this even in the media – that in the event there is disruption in the House because of our own actions and then we should not get our daily allowance. It is a very small component, and the people do not understand that the daily allowance is really a very small component, but if we allow the increase in salary, go through this motion ourselves and say, "If the House is disrupted, we will not be entitled to daily allowance.", I think there will be a sense outside that some justice has been served.

As far as the empty benches are concerned, that is a matter of individual conscience and I do not think that can be regulated.

Lastly, many hon. Members and senior Members like Shri Advaniji and many other sections of the House have said that the Government must come up with some mechanism to fix salaries of MPs. I think, that is a little unfair. It is incumbent upon all of us to suggest what should be that mechanism. This should be the last salary hike that we give to ourselves. Without question, it is unexceptionable that in future, there must be an independent authority. What that should be is for each of us -- who gets up and speaks -- to suggest that. I would here make the first attempt to suggest that like there is a Pay Commission, which looks into the salaries, which are being paid to the Government Servants, let the MPs' salaries in future after this, be automatically indexed along with the Government salaries by the Pay Commission. So, any time when the Pay Commission decides on their salaries, it will also decide on the MPs' salaries.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, as per the List of the Business, we have to take up a decision under Rule 193 at 4 o' clock. So, what is the opinion of the House?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I would request that we may just take another 15 minutes for this Bill.

MR. CHAIRMAN: Yes, it is because three more speakers are yet to speak on this Bill. If the House agrees, we can allow the three Members to speak and pass this Bill.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, भूतपूर्व सदस्य के बारे में शरद जी ने जो कहा, मैं न्याय की बात उठा रहा हूं कि व्यवहार में और कानून में लोग कहते हैं कि पेंशन सैलरी का आधा होती है। जब सैलरी आपने 50,000 रुपये कर दी है, तो पेंशन को 20,000 रुपये ही कैसे किया, इसका क्या लॉजिक है? इसलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है। सदन कहे तो भी मैं इसे वापस नहीं लूंगा। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा। हमें लोग समझा दें कि यह न्यायसंगत और उचित है, तो मैं इसे वापस ले लूंगा, नहीं तो इनसे चूक हुई है। शुरू में इन्होंने इधर-उधर किया कि सैलरी होगी 40,000 रुपये, तो पेंशन 20,000 रुपये होगी। बाद में यहां झंझट हुई तो अब सैलरी 50,000 रुपये हो गयी, लेकिन पेंशन को उतना ही छोड़ दिया। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि उसमें जो आप हजार लिखते हैं, सीधे उसमें यह लिख दिया जाए कि सैलरी का आधा पेंशन होगी। नहीं तो, यदि हिसाब से लिखते हैं तो 50,000 रुपये का आधा यानी 25,000 रुपये करने का मेरा अमेंडमेंट है और आपका प्रस्ताव है 20,000 रुपये का। यह मेरी पहली बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कितने नंबर तक जाएंगे?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि सूखा और बाढ़ पर बहस है।

महोदय, अब से पहली की तीन लोक सभा जो कि 13 महीने, 18 महीने और कुछ दिन की रही। पहली वाली में नहीं थे, बाद वाली दोनों में थे। इसे फुल टर्म माना जाना चाहिए। मान लीजिए लोक सभा बीच में विघटित हो जाती है। नौवीं लोक सभा के बाद जो उस समय के भूतपूर्व हुए हैं, उनके पांच वर्षों में बाद वाले पांच वर्षों को जोड़ दिया जाता है, इसलिए कृपया करके माननीय संसदीय कार्यमंत्री इसे देखें, क्योंकि नौवीं लोक सभा में सदस्य रहे लोगों ने हम से मिलकर कहा है कि हम लोगों को पूरा नहीं मानते हैं, कम समय को अगले में पूरा करने के बाद जो सरप्लस बनता है, उसको साल वाइज़ देते हैं।

तीसरा अंडमान-निकोबार 1200 किलोमीटर दूर है। वे पानी वाले जहाज से ही आते-जाते हैं, रेल से नहीं जाते हैं। हम रेल से जाते हैं और भूतपूर्व एमपीज़ के लिए भी फर्स्ट क्लास रेल में यात्रा करने की सुविधा है। वे क्यों रेल में जाएंगे। उन्हें शिप में तीन-चार रोज आने-जाने में लग जाते हैं। प्रस्ताव में यह था, भूतपूर्व जो माननीय सदस्य हैं, एक मनोरंजन भक्त जी थे, वे बहुत दिन तक हमारे साथ ही रहे। कमेटी की रिपोर्ट में था कि जो भूतपूर्व माननीय सदस्य हैं, विशेष कारण से जहाज में जाने के लिए दो-चार माननीय सदस्यों को एलाऊ किया जाए, चूंकि काला पानी, अंडमान-निकोबार से जहाज में उन्हें आना-जाना है, इसलिए उसे मान लेना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वेतन वृद्धि के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। वेतन वृद्धि के लिए यहां काफी बातचीत हुई है। मैं कोई नयी बात नहीं जानता हूं, लेकिन सन् 1954 में सरकार ने कानून बनाया और उसमें कुछ बढ़ोतरी के लिए बराबर अमेंडमेंट आता रहा है, लेकिन इस बार कुछ नयी बात हुई। हम सब लोगों की बातें सुनते हैं, हर दिन ऐसे ही वाकआउट करते हैं और दस्तखत भी करते हैं। हमें भी अच्छा नही लगता है कि जहां-तहां सदस्यों की आलोचना होती है और हम चुप रह जाते हैं। ये अपने लिए ही बोलते हैं और लड़ते हैं। हम भी इन्हीं की तरह बोलते हैं कि वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश गरीब है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि वेतन तो बढ़ना चाहिए, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जो यह कह दे कि हम बढ़ा हुआ वेतन स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। ये भीतर से कुछ और हैं तथा अंदर से कुछ और हैं, यह बात ठीक नहीं है। हमें नहीं लगता कि जो करोड़पति, अरबपति है, उसका अगर वेतन बढ़ता है तो उसे शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वे भी मन में सोचते होंगे कि थोड़ा वेतन बढ़ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि खर्चे का संकट है। जो बड़े लोग हैं, उन्हें वेतन की क्या जरूरत है, उनका वेतन कम रहे, ज्यादा रहे या न रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, गांव में एक कहावत बोलते हैं कि ऐसा नौकर चाहिए, जो मांग-चांग कर खाए, हुक्म पर तामिल करे, कभी घर न जाए। अभी लोगों का संकट है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें नयी बात क्या हुई। विभिन्न लोकसभा में पहले भी वेतन में वृद्धि होती रही है। लोग कहते हैं कि एक अलग से मेकेनिज्म बना दीजिए। उसमें दूसरा आदमी मालिक हो जाएगा, वह वेतन तय करेगा और हम लोग कर्मचारी हो जाएंगे। यह सरकार तय करती है। सदन में सारे कानून बनते हैं और कानून बना कर सब कुछ होता है। लोकतंत्र का मतलब कानून का राज है। सदन में हमेशा कानून बनते रहे हैं और वेतन वृद्धि, कमी, भत्ता आदि तय होता रहा है। इसमें नयी कौन सी बात हो रही है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि अलग से हो। इस संबंध में कई बातें कही जा रही हैं। इन सभी बातों में मैं दम नहीं देखता हूं। श्री संजय निरुपम जी कहते हैं कि काम के हिसाब से तय कर दीजिए, नो वर्क, नो पे। जिस दिन मैं लड़ता हूं और सदन बाधित हो जाता है, उस दिन मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा काम किया है। काम की परिभाषा क्या है, यह मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मोहे न कछु बांधे कलराजा, कीन्ह चहुं मैं प्रभुकर काजा। जनता की समस्याओं के लिए कभी-कभी एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल मैथड से भी लड़ना पड़ जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह का रास्ता बता कर गए हैं। क्या हम कानून नहीं मानेंगे? महोदय, आसन से आदेश होता है, हाउस डिसरप्ट होता है, हमें निकाल बाहर किया जाए, निष्कासित किया जाए, सजा दी जाए, यह कानून है। कानून क्यों नहीं लागू होता है?

लोग कहते हैं कि सारे कानूनों को लागू किया जाये, इसलिए सदन को बाधित करने का विषय मैं कल अलग से उठाऊंगा। अन्तिम बात, महोदय, इसमें अभी कोई नई बात नहीं हुई है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सीरियल नम्बर बोलिये, यह आपका चौथी बार अन्तिम है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बार की बात नई क्या हुई। एक कमेटी है। उस कमेटी ने अनुशंसा की और उसने वह अनुशंसा भेज दी। यही असली बात थी कि क्यों ऐसा हुआ। एक कमेटी की अनुशंसा चली गई, सरकार ने केबिनेट में भेज दी। केबिनेट में कुछ मंत्रियों ने उसमें कहा-सुनी की, वह बात बाहर आ गई, वह डैफर हो गया, नहीं हुआ, मीडिया ने प्रकाशित किया कि फलां मंत्री, फलां मंत्री खिलाफ गये। मामला सदन में उठ गया और फिर एक दिन सदन बाधित हो गया। उस पर लड़ाई जम गई।

उसके बाद फिर सरकार को चेतना आई, सभी दलों के नेताओं को बिठाकर सोल्यूशन निकाला तो वही बात पहले क्यों नहीं हुई। इसलिए इन सदस्यों की फजीहत, जो मीडिया में और लोगों में चर्चा हुई और सदस्यों के लिए यह हुआ कि इसके लिए इनको लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सारी कुव्यवस्था की कसूरवार सरकार है, दूसरा कोई नहीं। चूंकि सरकार के हाथ में वेतन बढ़ाना है। कमेटी के चलते बढ़ाते हैं या कैसे बढ़ाते हैं, वह अलग बात है।

यह प्रथम बार कमेटी की अनुशंसा नहीं हुई है और उसमें इन लोगों ने कतरब्योंत और मरम्मत की है तो इसमें सब सदस्य जब सब के लिए लड़ने वाले हैं तो अपने लिए हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अपने लिए भी हम लड़ना जानते हैं।

लड़ना भर मेरा काम रहा, यह जनता का संग्राम रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जायें पर वचन न जाई। अन्तिम कहकर चार बार आपने अन्तिम लिया है।

DR. N. SIVAPRASAD (CHITTOOR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. This is the august House. We pass the Budget here. We make the legislations here. We form many more Committees here. If a Commission is to be made for enhancing the salaries and allowances of Members, who is to nominate the members? Again, we are the persons who have to nominate the members of the Commission also.

Sir, I am a new-comer to Lok Sabha. It has been fifteen months, but I could not know what I can do for the constituency I represent with the help of various departments because I have no infrastructure here. The same thing is there in respect of my constituency also. My constituency spans about 250 kilometres, covering 37 mandals. Hundreds of people come to me every day. I am unable to offer even a cup of coffee to all of them. I am unable to satisfy all the people. Many of the people come to me without money for return fare also. They talk to me and finally at the time of going back, they would ask for bus fare also. I have to fulfil their needs.

I thought of talking of many more things, but what is happening here is that all the people, to my assumption, are not talking frankly. We definitely need enhancement of our salaries. We are unable to fulfil, and do justice to, the aspirations of our people. Not only that, the Government should also think of giving house-sites to the Members of Parliament. Even Shri Sharad Yadav was telling today that all the Members may not come back to the House next time. Previously, the Members of Parliament were getting house-sites also. So, I would request the Government to consider giving house-sites to the Members.

I would submit that there are 37 mandals in my constituency. Even for a parliamentary constituency with 20 mandals also, only Rs. 2 crore are being given. This amount is also not sufficient. So, they have to consider enhancing this amount under MPLADS also. ...(*Interruptions*) I would request all the Members to support me because enhancement of salaries and allowances is a must. Some people are telling what they have got from here and whether they cannot accept the enhanced salaries when they are enhanced.

I would request the Government to consider giving house-sites and enhancing the amount under MPLADS also.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक ट्राइबल आदमी हूं। दिल में जो बातेंत उठ_जाती_हैं_रही-है, उसको_हम-सबके सामने बोलता-हूंसाफ-साफ_बोल_देना_हमारा_ट्राइबल_लोगों_की_आदत_रही_है।_इसलिए मैं_कुछ_बातों_को_आज_सीधे_तरह_बोलना_चाहता_हूँ।,-आप इइसे गलत मत समझिए। पहला मुद्दा यह कहना चाहूंगा, शरद जी ने जिस मुद्दे को यहां उठाया कि एक्स एमपीज की पेंशन कम से कम बीस हजार से पच्चीस हजार रूपए होनी चाहिए। दूसरा, जितने एक्स एमपी विभिन्न कामकाज लेकर दिल्ली आते हैं, उन लोगों के रहने के लिए मकान की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनके लिए रहने की व्यवस्था तुंत भारत सरकार को करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, अगर एमपी लोगों को खुद ही अपनी तनख्वाह के बारे में बात करने को हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के लोग अच्छा नहीं समझते हैं, तो भारत सरकार के दिलोदिमाग में वह ज्ञान क्यों नहीं आया? खुद ही विचार करके कि कितनी तनख्वाह वृद्धि करनी है, कितनी देनी है, उस सिलसिले में कोई सिद्धांत को क्यों नहीं ला पाए? This is very unfortunate. इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एमपीज लोगों का तनख्वाह हमेशा पांच साल के बाद कमीशन बैठाकर वृद्धि करने से भी देश की_और_हमारी हालत नहीं सुधरेगी। यह_तो-यूं-तो-प्राइस इंडेक्स_के_साथ_जोड़ा_हुआ_मुद्दा_है।_इंडेक्स,-विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों में आज_जिस_तरह_वृद्धि_होती जा रही है, उसे जब तक रोक नहीं पाएंगे, तब तक_हमारी यह-नहीं-होग_हालत_नहीं_सुधरेगी_ा। I would like to know this from the Government of India. What kind

of proactive policy decision do you have to control the skyrocketing rise in prices of different commodities? अगर आप लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, Then, I would like to propose that the system of formation of the Joint Parliamentary Committees (JPC) should be scrapped. What is the use of it? ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Bwiswmuthiary, please conclude now.

...(*Interruptions*)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एमपीलैड का जो फंड है, उसे दो करोड़ से बढ़ाकर कम से कम दस करोड़ करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो पांच नंबर कोकराझार पार्लिलयामेंयामेंट्री_ट-कांस्टीच्युंसी हैं-उसमेंमें-दस विधानसभा-समासभा_निर्वाचन_क्षेत्_शामिल_हैं।_सकती-हैं, ...(<u>व्यवधान</u>) यह ऐसी पार्लियमोंट्री कांस्टीच्युंसी है। वह-जो_बहुत बैकवर्ड है। सारी-हेल्प्आजादा मिलने के बाद, आज 63 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन वहां उन्नयणा_का कुछ नहीं है। मेरी मांग है कि एमपी_लैंड निधि फंड को दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: This is not the topic for today's discussion. Therefore, please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : एक्स एमपीज की पेंशन कम से कम पच्चीस हजार रूपए होनी चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिस ढंग से सिफारिश की है, उसको मानना ही चाहिए।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं एक बात कहना भूल गया था, इसके लिए माफी चाहता हूं। जो आडवाणी जी ने कहा, इस सदन में एमपीज की सैलरी का मुद्दा इस बार ही नहीं उठा है। पिछले इतिहास में भी एमपीज ने तीन-चार बार खुद अपनी तनख्वाह के लिए बात कही है। यह इस सदन की गरिमा के लिए कि बार-बार एमपीज ही इस पर माथा मारते हैं। आडवाणी जी ने कहा कि अभी नहीं कभी बाद में, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, सबसे बात करके आप इसके लिए कोई रास्ता बनाइए।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I thank the hon. Members, Shri L. K. Advani, for his very pertinent intervention in this on principles; Dr. Ram Chandra Dome; Shri Sanjay Nirupam; Shri Shailendra Kumar; Shri Dhananjay Singh; Shri Sharad Yadav; Shri Pinaki Misra; Dr. Raghuvansh Prasad Singh; Dr. N. Sivaprasad; and Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary.

Sir, ten hon. Members have participated in this discussion. I am happy that this time we have taken up this matter for discussion in the House to avoid the odium that we pass the Bill relating to our salaries without discussion in the House. In fact, the Constitution enjoins this responsibility on us and I would, in this case, very briefly refer to article 106:

> "Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may, from time to time, be determined by Parliament by law."

There are two words – by parliament, by law. All these years, I agree with some of the hon. Members, Parliament has been determining the salaries by law. Today, we are seeking an amendment to the law itself.

There is no denying the fact that there is a universal acceptance or rather demand for this that henceforth we give up this power of ours within the parameters of the constitutional provisions, and that means the law as such has to be amended to provide for a permanent mechanism. The law as such may not have to be amended, but some provision there would entitle that this matter is decided by the Commission. But the important point that would still remain is that do the recommendations of that mechanism or the Commission, or whatever we call it, come to the Parliament again?

These are the points which will have to be discussed. It was in this context that I had said that the Cabinet in its meeting in August, 2006, decided in principle that a mechanism needs to be set up. But many, many questions have arisen thereafter. I can say from my personal experience during this last one year that views have been expressed on this. That view has been expressed by Dr. Raghuvansh Prasad today also, that is a contrary view to this, who says that this right is

vested in us, and we have to exercise it ourselves -- of course, with discretion and judiciously. It is not that we have unbridled power or unlimited power in our hands. We have to be answerable to the people and we have to see as to what we do because we have to really, ultimately, act as the representatives of the people.

But nevertheless, I and for that matter the Government are of this view now, particularly, as I said in the beginning, in view of the developments in the last few days that it is time now that we set up a mechanism for this. There is no denying the fact. I am afraid it would be extremely difficult for me to announce the setting up of such a mechanism as demanded by Shri Advani within the next two or three days. But I can assure this House that we would like to have wide ranging consultations on this. This will be a departure from the law that we have been following since 1954. Therefore, this does call for some discussion as to who are the people who have got to be associated with it and with whom we place this right for the future.

Having said that, I would very, very briefly refer to some points which, indeed, are very pertinent and I am very happy that the hon. Members have raised those points, and this debate has given us that opportunity to in fact go to the people and say that this is what we feel about it. It was a good number of hon. Members who said, though of course there was a contrary view again by Dr. Raghuvansh Prasad, but the prevalent view, predominant view, as was expressed by the hon. Members was to the effect that if the Parliament does not function, then we should not take our daily allowances. Our perceptions, our concepts differ as to what work is, but if we come to the Parliament to transact business, I think that is the work which the Parliament is supposed to be doing. The other work, that is, may be the sound of democracy, at times, prevails over the reason of democracy, but ultimately, it is the reason of democracy which has to prevail over the sound of democracy. In the Parliament, it is the reason of democracy which should prevail. Outside, of course, we are all political workers; we can take our decibel to whatever level we wish to. But I think in this context, this point that has been made here that if for any reason, for our own reasons, if the Parliament is not able to function for a day, we should provide for it that for that day we do not take our daily allowance. This point as also the point relating to attendance, the secretarial assistance, that was indeed a very pertinent point which has been made.

As Dhananjay Singhji said, we have to work maybe on certain important matters about which we do not have the information. Accepting that as a layman, as a representative of the people, as a conscientious political worker, we do want to participate in something which may be very technical. For that perhaps you do need some research assistance. There could be people from the universities and elsewhere to help us. But I am not in a position to really say more than that on this.

श्री धनंजय सिंह : मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन मैम्बर्स के लिए रिसर्च एसोसिएट जरूर मिले जो कन्सलटेटिव कमेटी में हो, स्टैंडिंग कमेटी में हो। जैसे मैं दो समितियों में हूं - कंसल्टेटिव कमेटी आन पावर और आईटी। कम से कम दो रिसर्च स्कॉलर जरूर होने चाहिए, जो लोग समितियों में हों, ताकि वे अपना व्यू अच्छी तरह रख सकें। कमेटी के ही प्रस्ताव हाउस के अंदर आते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं जो कह रहा था, वह यही था कि यहां जो आठ विषय उभरकर आए हैं, अलग-अलग माननीय सदस्यों ने इन बातों को यहां जाहिर किया है। उसमें मैंने पहले का जिक्र किया था कि अगर हाउस में बाधा पड़ती है, काम नहीं हो पाता, असिस्टैंस की जरूरत है या हाजिरी की बात है, जीडीपी के साथ सैलरी को जोड़ना है।

16.26 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair)*

शरद यादव जी ने बहुत अहम बात का जिक्र किया था कि लोगों को अपने राजनीतिक काम में आना पड़ता है। उनके लिए यहां रहने की कोई व्यवस्था हो। ये अहम चीजें हैं। अगर हम इन पर खुद जिक्र करें, खुद फैसला करें, फिर शायद वही बात होगी जिसके लिए हम कह रहे हैं कि एक मकैनिज़्म की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस कारण आज वह दिन आया है कि हम सब मिलकर जिसे चाहेंगे, एक ऐसी बॉडी के हाथ में अधिकार दें जिससे वह इन बातों का फैसला कर पाए।

Having said that, I just want to very briefly refer to the point relating to pension. We did consider this point. But I must say once and for all that we should not compare ourselves with any service whatsoever. If I were to say so, that would rather be demeaning ourselves. Maybe the other people are unimportant for this. We have to put ourselves in a different bracket. We are not Government servants: we are public representatives. Maybe our work is 24x365 but we are not Government servants. Therefore, we must not try to compare ourselves with the Government servants.

श्री शैलेन्द्र कुमार : प्रोटोकाल के बारे में हमें सोचना चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान) *

श्री पवन कुमार बंसल : प्रोटोकाल की बात अलग हटकर है। मैं पैंशन के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि यह शायद हमारा ही है, इसमें प्रावधान है कि अगर लोक सभा सिर्फ एक वर्ष या डेढ़ वर्ष के लिए रही हो, तब भी उन्हें पैंशन मिलेगी। पैंशन स्टैटिक नहीं है, डायनैमिक है। जितना समय ज्यादा लगता रहेगा, उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। शायद ऐसे भी सदस्य हों, माननीय सदस्य शरद यादव जी उनमें जरूर होंगे, मैं चाहता हूं कि वे बहुत लम्बे अरसे तक पार्लियामैंट में और रहें। लेकिन आज के दिन ये जितना समय पार्लियामैंट में रहे होंगे, इनका अपनी तनख्वाह से ज्यादा पैंशन का ऐमाउंट जरूर बनता होगा। ऐसे बहुत से केस हैं। इसलिए हम इसके लिए वह उदाहरण नहीं दे सकते। बैसीमुथियारी जी ने अभी जो कहा, उनमें से कई बातों आज इस बिल के संदर्भ में नहीं हैं। लेकिन जो भी बातें हैं, उनको हम जरूर उस कमेटी में रखना चाहेंगे। To arrest the growing cynicism in the public estimation about the politician, about the Parliament, and for that matter democracy itself, is a duty on us. We have to arrest that growing cynicism. Therefore, I can only say that we must all put our heads together to see as to what mechanism we work out for the future.

With these words, I thank all the hon. Members who have participated in the discussion and who have expressed their support to this Bill, and I commend that this Bill be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN ~~(SHRI ARJUN CHARAN SETHI)~~: The question is:

> "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5 Amendment of Section 8 A

MR. CHAIRMAN ~~(SHRI ARJUN CHARAN SETHI)~~: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, do you like to move your Amendment?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,

"बीस हजार रुपए " के स्थान पर

"पच्चीस हजार रुपए " प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं रघुवंश प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इसके बारे में मैकेनिज्म बनाएंगे, यह विषय उसके पास लेकर जाएंगे, इस वक्त पेंशन 8,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हुई है और जो सालाना पेंशन है, जो पांच साल से ऊपर है, वह 800 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये हुई है। आगे के लिए हम यह विषय उस मैकेनिज्म के पास लेकर जाना चाहेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जिस दिन सैलरी 16,000 रुपये थी, उस दिन पेंशन 8,000 रुपये थी, आज आप सैलरी 50,000 रुपये कर रहे हैं, तो पेंशन को भी 8,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: In law, it is all contextual. अलग-अलग कांटेक्स्ट में अलग-अलग चीज होती है।

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No.1 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That Clause 5 stands part of the Bill "

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.
Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I want to make a small comment. It is a very good tactic that to oppose the Salary Bill in the House, and to accept it by going to the counter; and when the Bill has already been passed. Those who have walked out or all those political parties who are opposed to the Bill, it has to be taken into account that they are ruling the State for the last 34 long years and at least, four to six times salaries have been increased in the same Assembly. They are representing the same people and the same people are walking out today. We feel that this is an attitude of double standards and an attitude of hypocrisy. We totally disapprove such type of hypocratic decisions. We fully agree to what the hon. Advani ji has proposed and the way the hon. Minister, Bansal ji has concluded the debate. All of us should unitedly stand behind and those who have walked out from the House opposing the Bill, I think, they should not take the increased salary uptill the next procedure is adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.